



RIPANS

website: www.ripans.ac.in

रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़ REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES

(स्वायत्त संस्थान, अधीनस्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
(An autonomous Institute under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)

जेमाबोक, आइज़ोल, मिज़ोरम - 796017
Zemabawk, Aizawl, Mizoram - 796017

Phone: 0389-2350521
e-mail: admin@ripans.ac.in

OFFICE MEMORANDUM

Dated Aizawl, the 11th October, 2023.

No. A.12018/2/2023-Esttt/RIPANS/212 : This is for information to all concerned that the Recruitment Rules of Non Faculty Posts (Library & Information Assistant, Warden/Lady Warden & Storekeeper) Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2023 has been notified in the Gazette of India on dated 05.09.2023 and uploaded in the Institute website.

Sd/-डॉ. संजय डी. सावंत/Dr. SANJAY D. SAWANT

निर्देशक/Director

रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल/Regional Institute of Paramedical
& नर्सिंग साइंसेज़ /Nursing Sciences
आइज़ोल : मिज़ोरम/Aizawl:Mizoram

Memo No A.12018/2/2023-Esttt/RIPANS/212-A

Copy to:-

Dated Aizawl, the 11th October, 2023.

1. Under Secretary(NE), Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhawan, New Delhi, for information.
2. PA to Director, RIPANS, for information.
3. Principal (N)/All HoDs, RIPANS for information.
4. AO/FO/Officer i/c T&P, RIPANS for information.
5. Computer Centre, RIPANS for information with a request to upload in the institute website.
6. Office Guard File.

(डॉ. संजय डी. सावंत/Dr. SANJAY D. SAWANT)

निर्देशक/Director

रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल/Regional Institute of Paramedical
& नर्सिंग साइंसेज़ /Nursing Sciences
आइज़ोल : मिज़ोरम/Aizawl:Mizoram



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.जेड.-अ.-07102023-249259
CG-MZ-E-07102023-249259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683]
No. 683]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2023/आश्विन 14, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2023/ASVINA 14, 1945

रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइज़ोल, मिज़ोरम

अधिसूचना

आइज़ोल, 5 सितंबर, 2023

क्रमांक A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/125.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या यू.12012/57/2022-एनई-पार्ट(1) दिनांक 22.08.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइज़ोल में स्टोर कीपर के पद की भर्ती की विधि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-

1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन :-

- इन विनियमों को ग्रुप 'बी' गैर संकाय पद (स्टोर कीपर), रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइज़ोल, मिज़ोरम, 2023 के भर्ती नियम कहा जाएगा
- यह विनियम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

2. पे-मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर:-

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े पे-मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची I में निहित संबंधित पदों में निर्दिष्ट होगा। ग्रुप 'बी' के रूप में पदों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के वेतन स्तर में समान श्रेणियों के अनुरूप होगा।

3. भर्ती मानदंड:-

- 3.1 सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। संबंधित पद के लिए आवश्यक आरआईपीएनएस के संबंध में गैर संकाय के हित के संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता के लिए निर्दिष्ट अनुशासन, पदों के विज्ञापित होने से पहले अनुसूची I में दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और नियामक निकायों की शैक्षिक योग्यता, यथास्थिति, केवल स्वीकार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 3.2 सभी पदों के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुसार होगा। पद के लिए अपेक्षित अनुभव निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- 3.3 भर्ती अनुसूची I में निर्धारित अनुसार की जाएगी। जब भी पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो पदों का विज्ञापन आरआईपीएनएस की वेबसाइट और समाचार पत्रों में ऐसे उचित तरीकों से किया जाएगा जो संस्थान प्राधिकरण उचित समझे। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, निदेशक एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी।
- 3.4 सीधी भर्ती के मामले में, पद के लिए नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के लिए विशिष्ट अंक देकर चयन पारदर्शी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, जैसा आवश्यक हो, आयोजित करेगी।
- 3.5 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर भरा जा सकता है।

4. भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य योग्यताएँ, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में निर्दिष्ट किए जाएंगे।

- 4.1 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- 4.2 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित अभ्यर्थी, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रारंभ में अनुसूची I में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। परिवीक्षा अवधि के अंत में, अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन संस्थान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है या अन्यथा। यदि उसका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर उसकी नियमित नियुक्ति की पुष्टि की जायेगी।

5. अयोग्यता:-

कोई भी व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

बशर्ते कि आरआईपीएनएस, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

6. व्याख्या:-

जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, मामला नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

7. छूट देने की शक्ति :-

जहां आरआईपीएनएस की विधिवत गठित चयन समिति की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से हो सकता है, अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी वर्ग या श्रेणी के पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दें। यह नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

8. व्यावृत्ति :-

इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी का विवरण आरआईपीएनएस द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

स्टोर कीपर हेतु भर्ती नियम

1	पद का नाम	स्टोर कीपर
2	पदों की संख्या	1* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3	वर्गीकरण	ग्रुप 'बी'
4	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 06
5	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समकक्ष (i) 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन/वेयरहाउसिंग प्रबंधन/क्रय/लॉजिस्टिक्स/सरकारी खरीद में डिप्लोमा/डिग्री
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष।
10	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	लागू नहीं
12	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. निदेशक, आरआईपीएनएस – अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक का प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से निम्न न हो (रोटेशन द्वारा) – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि जो अवर सचिव के पद से निम्न न हो - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - *सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य*

		6. प्रशासनिक अधिकारी आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

डॉ. संजय दिनकर सावंत, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./466/2023-24]

REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES AIZAWL, MIZORAM

NOTIFICATION

Aizawl, the 5th September, 2023

No.A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter F.No.U.12012/57/2022-NE -Part (1) dated 23.08.2023, the President hereby makes the following amendment of the method of recruitment of the post of Store Keeper in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, namely:-

1. Short Title and commencement: -

- 1.1. These rule may be called the Recruitment Rules of Group 'B' Non - Faculty Post (Store Keeper), Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2023.
- 1.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of the said posts, their classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Schedule I. The classification of posts as Group B will correspond to similar categories in the Pay Level of Central Government.

3. Recruitment Norms: -

- 3.1 The minimum educational qualification for the post shall be as specified in Schedule I. The specified discipline for educational qualification in related areas of interest of the Non faculty in respect of RIPANS, required for the post concerned, will be as given in Schedule I, before the post is advertised. Educational qualifications of recognized University and regulating Statutory Bodies, as the case may be, will only be accepted. In case of any doubt regarding educational qualification, the decision of Appointing Authority will be final and binding.
- 3.2 The experience required for the post shall as specified in Schedule I. The crucial date for determining the experience required for the post shall be the closing date for receipt of application from candidates.
- 3.3 Recruitment shall be made direct recruitment as prescribed in Schedule I. Whenever the post is to be filled up by direct recruitment, the post shall be advertised in the website of RIPANS and newspapers by such appropriate methods as the Institute authority deems fit. In case of receipt of large number of applications, the Director may constitute a Screening Committee, which will short-list the candidates.
- 3.4 In case of direct recruitment, the selection shall be transparent by giving specific marks for various parameters decided by the Selection Committee, keeping in view the job requirement for the post. The Selection Committee as constituted by competent authority will hold interviews of the all-eligible candidates, as may be required.
- 3.5 Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances, for duration of one year or more, can be filled on deputation/short term contract.

4. Method of Recruitment, age limit and other qualifications, etc:-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

- 4.1 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates.

- 4.2 In case of direct recruitment, the selected candidates, from the date of assuming the duties will be on probation initially for a minimum period as specified in Schedule I. At the end of probation period, the candidate's performance will be assessed by the Institute authority to decide if the candidate's performance during the probation period has been satisfactory or otherwise. If his/her performance is found to be satisfactory, he/she will be confirmed for regular appointment on completion of probation.

5. Disqualification: -

No person:

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) Who having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

7. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule I. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

8. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. The posts filled earlier will not be affected by these Recruitment Rules, which are being notified now. The job descriptions pertaining to various posts would be issued separately by RIPANS as an Office Order.

Recruitment Rules for Store Keeper

1	Name of Post	Store Keeper
2	Number of post	01* (2023)* Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Group 'B'
4	Level in the Pay Matrix	Level - 06 of Pay Matrix
5	Whether Selection post or non selection post.	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: (i) Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent. (ii) Diploma/Degree in Materials Management/Warehousing Management/Purchasing/Logistics/Public Procurement from recognized University/Institute.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Not applicable
9	Period of probation, if any	2 (Two) years for direct recruit

10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not applicable
12	If a Departmental Promotion/Committee/Selection Committee exists what is its composition	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director - Member of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). 3. Representative of Jt. Secy. - Member (NE) MH&FW Govt. of India not below the rank of Under Secy. 4. One co-opted expert - *Member in the subject concerned 5. One co-opted member - *Member Representing SC/ST 6. Administrative Officer- Member Secretary RIPANS (*To be nominated by Director, RIPANS)
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable

Dr. SANJAY DINKAR SAWANT, Director

[ADVT.-III/4/Exty./466/2023-24]